

मंडला जिले में पर्यटन के विकास से जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

ओमकार प्रसाद राय

सहनिदेशक, कृष्णराव शोध संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

मंडला जिले में पर्यटकों के आगमन से जनजातियों की आय में वृद्धि के साथ ही पर्यटकों के संपर्क में आने से जनजातियों में विभिन्न सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जनजातियों की आय में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन के साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तथा व्यवसायिक प्रवृत्ति का विकास हुआ है जनजातीयजन आधुनिकता को धीरे-धीरे स्वीकार्य करने लगे हैं तथा आधुनिक समाज से साम्य स्थापित करने हेतु प्रयासरत हैं जिले में पर्यटन से जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है।

मूल शब्द: जनजाति, पर्यटन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

प्रस्तावना

मंडला जिले में पर्यटन हेतु प्राकृतिक, आध्यात्मिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। प्राकृतिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, आध्यात्मिक दृष्टि से नर्मदा तथा नर्मदा के किनारे स्थित स्थल, राजराजेश्वरी मंदिर, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से गोंड राजधानी रही रामनगर तथा वहां स्थित किले एवं मंदिर, गोंडकालीन पुरातत्व शिलालेख एवं म्यूजियम आदि जिले में प्राकृतिक आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन के शौकीन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रकृति से सजा-संवरा यह जिला प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का प्रमुख आवास स्थल भी है। इस जिले में बैगा जनजाति का भी निवास है जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। जिले में जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा गोंड जनजाति का है। अतः जिले में गोंड एवं बैगा संस्कृति को पास से निहारने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह क्षेत्र 15 वीं और 17 वीं शताब्दी के मध्य गोंड शासकों का क्षेत्र रहा है। 1870 से पूर्व यह भू-भाग महिष्मती के नाम से जाना जाता था, यहां के गोंड वीरों तथा वीरांगनाओं की वीरगाथायें आज भी जनमानस पर अपना गहरा प्रभाव रखते हैं लेकिन वर्तमान समय में यह जनजातियां आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। जिसके कारण इनका समग्र विकास नहीं हो पाया है, जिसका कारण इनके पुराने रीति-रिवाज तथा प्राचीन जीवन पद्धति से जीने का ढंग है। अतः जिले में कम औद्योगिक विकास हुआ है और जनजातीयजन कृषि तथा पर्यटन आदि से प्राप्त आय से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्रयासरत हैं।

अध्ययन का उद्देश्य: प्रस्तुत शोध का उद्देश्य पर्यटन के विकास से मंडला जिला की जनजातियों में आये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की पड़ताल करना है तथा उनमें पर्यटन से आ रहे विभिन्न परिवर्तनों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना है मुख्य उद्देश्य

1. मंडला जिला में पर्यटन से जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हुये परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना।
2. मंडला जिले के पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति की

जानकारी प्राप्त करना।

3. पर्यटन से जनजातियों में होने वाले प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना।
4. जिले में पर्यटन के विकास की और अधिक संभावनाओं की पड़ताल करना जिससे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इस जनजाति जिले का पर्यटन के माध्यम से और अधिक आर्थिक विकास हो सके।

अध्ययन विधि: प्रस्तुत अध्ययन संबंधी आंकड़ों का संकलन विभिन्न चरणों में वैज्ञानिक सांख्यिकी विधियों द्वारा किया गया है। प्रारंभिक आंकड़ों को साक्षात्कार के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत 40 व्यवसायी परिवारों व्यक्तियों से सीधे संपर्क स्थापित करके एक सुविचारित एवं सुस्पष्ट साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से न्यायदर्शा से प्रश्न पूछकर पर्यटन के प्रभावों से संबंधित अनुभवों की जानकारी एकत्रित की गई है तथा पर्यटन स्थलों से संबंधित अनुभवों हेतु पर्यटकों से साक्षात्कार प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का संकलन सरकारी विभागों, स्थानीय शासन, केन्द्र एवं राज्य सरकार के पर्यटन विभाग आदि से संकलित किये गये हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का चयन यादृच्छिक नमूना विधि (Random Sampling Method) द्वारा किया गया है तथा संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित कर इनका सारणीयन किया गया है एवं आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र: देश के मध्य में स्थित राज्य मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित जनजातीय बाहुल्य मंडला जिला पवित्र पौराणिक नदी नर्मदा के तट पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका भौगोलिक विस्तार 22°2' से 23°22' उत्तरी अक्षांश एवं 80°18' से 81°50' पूर्वी देशांतर के मध्य 5800 वर्ग कि.मी. में विस्तृत यह जिला प्रकृति की अनुपम धरोहरों को अपने में समेटे हुये है। प्रशासनिक दृष्टि से जबलपुर संभाग का यह जिला छः तहसीलों मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी तथा नारायणगंज एवं 9 विकासखण्डों मण्डला, मोहगांव, घुघरी, नैनपुर, बिछिया, मवई, निवास, नारायणगंज और बीजाडांडी के जरिये प्रसाधित होता है। इस जिले के सभी नौ विकासखण्ड जनजाति विकासखण्ड हैं। सन् 2011 की जनगणना अनुसार जिले की कुल जनसंख्या

10,53,522 है। मंडला नगर तीन और से नर्मदा नदी से घिरा है। पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में प्रवाहित नर्मदा मण्डलाकार स्वरूप में प्रवाहित होती है। मण्डला में ही बंजर नदी का संगम नर्मदा से होता है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। जिससे भूमि कुण्डलाकार बन गई है तथा इसी कुण्डलाकार भूमि पर मण्डला का किला स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में जबलपुर जिला, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में डिंडोरी जिला, दक्षिण में बालाघाट जिला एवं पूर्व में सिवनी जिले के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है।

अध्ययन क्षेत्र का अवस्थिति मानचित्र



पर्यटन: पर्यटन एक ऐसी अंतः क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष ख्याति वाले स्थान पर जाकर आनंद की अनुभूति करता है। ये स्थान प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध एवं आकर्षण का केन्द्र हो सकते हैं। वर्तमान समय की व्यस्ततम एवं उबाऊ जिंदगी में पर्यटन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन एक सामाजिक-आर्थिक क्रिया है, पर्यटन ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दिया है तथा राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है जिससे पर्यटन आज विश्व का प्रथम कोटि का उत्पादक उद्योग बन गया है। भारत पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्धशाली देश है।

मंडला जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक पर्यटन स्थल

रामनगर गौड़ राजधानी: रामनगर मंडला जिला केन्द्र से 17 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। जहां मध्यकाल में गौड़ शासक हिरदेशाह ने अपनी राजधानी स्थापित की थी तथा इमारतों एवं भवनों का निर्माण करवाया था। जिनमें से अधिकांश आज भी मौजूद हैं लेकिन इनका पर्यटन की दृष्टि से उपयोग कम ही हो रहा है और यदि सुनियोजित प्रयास किये जायें तो गौड़कालीन यह राजधानी एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है।

मोतीमहल: राजा हिरदेशाह द्वारा यह महल 1667 ई. में निर्मित

कराया गया जिसे मंडला गजेटियर में राजप्रसाद (पैलेस) कहा गया है। यह महल नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है जहां से नर्मदा का अप्रतिम सौंदर्य दिखाई देता है। यह आयताकार महल तीन मंजिला है। जिसके आंगन में स्नानागार भी है। सन् 1984 में इसे मध्यप्रदेश शासन के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। वास्तव में राजमिस्त्रियों ने रामनगर के भवनों के रूप में उस समय की बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना प्रस्तुत किया था।

रानीमहल: यह मोतीमहल से डेढ़ मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, इसे बघेल रानी का महल भी कहा जाता है। इसके समीप एक बाबड़ी भी है। इस महल को शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है।

रायभगत कोठी: रामनगर स्थित यह कोठी जो मोतीमहल से थोड़ी दूरी पर एक विशाल भवन है। यह राजा हिरदेशाह के दीवान रायभगत का निवास था। इस भव्य भवन के प्रवेश द्वार पर सफेद संगमरमर लगा हुआ है। द्वार के ऊपर नौबतखाना बना हुआ है। 1984 में यह म.प्र.शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था। गौड़कालीन इन महलों, भवनों तथा मंदिरों की स्थिति आज जर्जरित है। लेकिन शासन चाहे तो इनकी स्थिति बदल सकती है और रामनगर अच्छे पर्यटन स्थलों की सूची में सम्मिलित हो सकता है तथा रामनगर पर्यटन स्थल सरकार की आय का साधन बन सकता है। जिससे गौड़कालीन इतिहास भी सुरक्षित रहेगा तथा गौड़कालीन ऐतिहासिक नगर रामनगर एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा।

श्रवणताल तथा श्रवणचिता: ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व महाकाव्य रामायण काल से पहले का है, कहा जाता है कि अयोध्या के महाराज दशरथ ने कान्हा में स्थित श्रवण ताल में ही श्रवण कुमार को हिरण समझ कर मार दिया था तथा श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार श्रवण चिता में ही हुआ था।

मराठा दीवार: मराठों द्वारा 1739 में इस नगर पर कब्जा करने के उपरांत नगर के सामने वाले हिस्से पर बुर्जों और द्वारों से युक्त दीवार का निर्माण करके मंडला दुर्ग को मजबूती प्रदान की गई।

मंडला दुर्ग: इसका निर्माण राजा नरेन्द्रशाह ने तीन और से नदी से घिरे भूखण्ड पर करवाया था जिसके एक तरफ गहरी खाई है।

प्राकृतिक पर्यटन स्थल

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान: विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों हेतु 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है यहां सफारी की सुविधा तथा बाघों को पास से निहारने हेतु हाथी सवारी की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस उद्यान में अनयत्र कहीं नहीं पाई जाने वाली बारहसिंगा की प्रजाति (दलदली हिरण) पाई जाती है। यह उद्यान प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का आवास स्थल होने के कारण उनकी संस्कृति एवं जीवन प्रकृति को पास से निहारने का सुअवसर प्रदान करता है।

बबैया कुंड: जिले के ग्राम बबैया स्थित यह कुंड वर्ष के बारहों महीने गर्म जल का स्रोत है। तथा इस कुंड में स्नान से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जिसका कारण कुंड के जल का गंधक युक्त होना है। ठंड के मौसम नवम्बर से फरवरी के मध्य यहां यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। कुण्ड के चारों तरफ हरे-भरे घने जंगल हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। ठंड के मौसम में प्राकृतिक गर्म पानी से नहाने की चाहत यहां हर किसी को खींच लाती है। यहां कुण्ड के चारों तरफ उपलब्ध पानी ठंडा होता है लेकिन कुण्ड का जल हमेशा गर्म रहता है। यह कुंड जिला मुख्यालय से 22 कि.मी. की दूरी पर मंडला जबलपुर मार्ग में स्थित है।

अजगर दादर: मंडला जिले का ककैया गांव यहां प्राकृतिक

माहौल के बीच अजगर रहते हैं तथा खुले वातावरण में विचरण करते हैं। प्राचीन पहाड़ों की उपस्थिति यहां इनके रहने के लिये अनुकूल है। यहां प्राकृतिक माहौल में हजारों अजगर विचरण करते नजर आ जाते हैं। ककैया गांव मंडला जिले के अंजनिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांव से लगे जंगल के करीब दो एकड़ क्षेत्र में चट्टान और गुफाओं में इनकी बसाहट है। जिसे अजगर दादर से नाम से इलाके में जाना जाता है। अजगर दादर में ठंड के दिनों में अनेक अजगरों को धूप सेंकते देखा जा सकता है। 1926 में आई बाढ़ के कारण यह इलाका पोला हो गया और सरीसृपों का निवास स्थान बन गया। ठंड के मौसम नवम्बर से फरवरी के मध्य यहां अजगरों को सपरिवार धूप सेंकते हुये देखा जा सकता है। इन दिनों यह क्षेत्र आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। स्वभाव से सीधा अजगर इंसानों को परेशान नहीं करता न ही जहरीला होता है। इसकी मादा का आकार नर से बड़ा होता है तथा यह स्वभावतः तीन महीनों तक अपने बच्चों के पास ही रहती है। जब तक वे बड़े होकर आजाद जीवन न जीने लगे। अपनी सरलता और सहजता के कारण यह इंसानों के खेल का शिकार बन रहे हैं, जिसे संरक्षण देकर सरीसृप शोध हेतु विकसित किया जा सकता है। जिससे सरकार को भी आय होगी और इनका संरक्षण भी होगा।

बम्हनी दादर: ऊंचाई वाले समतल पठार जो घास के मैदान के रूप में होते हैं को स्थानीय भाषा में दादर के नाम से जाना जाता है। बम्हनी दादर नामक पठार कान्हा का सबसे ऊंचा स्थान है जो पार्क का खूबसूरत स्थान है, यहां का मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों को बरबस ही अपनी और खींच लेता है। घने और चारों तरफ फैले कान्हा के जंगल का विहंगम दृश्य यहां से देखा जा सकता है। इस स्थान के चारों ओर हिरण, गौर, सांभर और चौसिंहा को देखा जा सकता है।

बंजर-हालोन घाटी: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बम्हनी दादर के बीच से बहने वाली बंजर तथा हालोन नदी की घाटियां प्रसिद्ध हैं।

काला पत्थर पहाड़: रामनगर से 4 कि.मी. दूर घने जंगलों के बीच काले पत्थरों का पहाड़ स्थित है। प्राकृतिक काले पत्थरों के पहाड़ का अपना इतिहास है। इस पहाड़ में मौजूद काले पत्थरों की बनावट यहां से जुड़ी कुछ कहानियों पर यकीन करने को मजबूर करती है। अष्ट फलक लंबे-लंबे काले पत्थरों की सिल्लियां देखने में भले ही मानव निर्मित लगती हों। लेकिन इस काले पहाड़ के कई राज आज भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दफन हैं। रामनगर की ऐतिहासिक इमारतों मोतीमहल, रानीमहल, रायभगत कोठी का निर्माण इन्हीं पत्थरों से किया गया है। इस पहाड़ में पहले सोलह बाघों की गुफाएं हुआ करती थीं जिसमें राजा हृदयशाह के सोलह पालतू बाघ रहा करते थे। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार काला पत्थर पहाड़ सिद्ध स्थल है। यहां आकर मन्तत मांगने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। इस पहाड़ की खूबसूरती देखने के लिये हजारों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन उचित मार्ग तथा खान-पान की व्यवस्थाओं के अभाव में इस पर्यटन स्थल का विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि शासन ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है।

आध्यात्मिक पर्यटन

सहस्त्रधारा: मंडला नगर के पास स्थित सहस्त्रधारा नर्मदा नदी के प्रपात के कारण उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रवाह को अपनी सहस्त्र भुजाओं से रोक लिया था।

विष्णु मंदिर: मोती महल से दक्षिण-पश्चिम लगभग तीस मीटर की दूरी पर एक विष्णु मंदिर है। जो बाहर से मकबरे जैसा दिखाई देता है। इसका निर्माण हिरदेशाह की पत्नी सुंदरी देवी द्वारा करवाया गया था। कक्ष के ऊपर एक गुम्बज है और साथ ही प्रत्येक कोने में एक-एक छोटा कक्ष भी हैं। यह मंदिर मध्यकालीन गौड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोतीमहल में रखे शिलापट्ट के लेख से ज्ञात होता है कि यह सिंहशाह दयाराम और भगीरथ नाम के स्थानीय कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को म.प्र.शासन द्वारा 1984 में संरक्षित घोषित कर दिया गया था। मंदिर में प्रतिष्ठित देवमूर्तियों (गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य और विष्णु) में से गणेश व सूर्य की मूर्तियां गौड़कालीन हैं शेष कल्चुरी कालीन हैं।

कार्तिक पूर्णिमा का मेला: मंडला स्थित संगम घाट (नर्मदा एवं बंजर के संगम) में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले विशाल मेला में आस्था की डुबकी लगाने दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं।


नर्मदा समरसता महाकुंभ: यह कुंभ नर्मदा समरसता महाकुंभ के नाम से मंडला में नर्मदा एवं बंजर के संगम पर आयोजित किया जाता है।

राजराजेश्वरी मंदिर: यह मंदिर मंडला के मुख्य शहर में स्थित है जो गौड़ राजाओं की कुलदेवी राजराजेश्वरी का है। जो प्रसिद्ध प्राचीन तांत्रिक स्थल है।

परिणाम और तार्किक परीक्षण: पर्यटन व्यवसाय से पर्यटन स्थलों में आय के स्रोतों का विकास होता है तथा पर्यटकों के आगमन से होने वाली आय स्थानीयजनों की आजीविका का स्रोत बन जाती है। अध्ययन क्षेत्र जनजातीय बहुल मंडला जिला में आने वाले पर्यटकों के कारण जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। जनजातियों के अनेक सदस्य पर्यटकों को भोजन, नास्ता, परिवहन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करके उससे होने वाली आय से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही पर्यटकों के संपर्क में आने से उनकी भाषा, बोलचाल, पहनावे आदि में भी परिवर्तन स्पष्ट नजर आते हैं। जनजातीयजन अब पर्यटकों की मांग के आधार पर खान-पान उपलब्ध करा रहे हैं तथा स्वयं भी उनका उपयोग कर रहे हैं। प्राचीनकाल से ही मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी संस्कृति का प्रसार किया जा रहा है इससे जिस स्थान पर वह जाता है वहां अपनी छाप छोड़ता रहा है। मंडला जिले में पर्यटन के कारण जनजातियों की आय के स्तर, खान-पान, पहनावे तथा बोलचाल की भाषा एवं शैली में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन करके उन्हें चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है तथा उनका विश्लेषण भी किया गया है जो इस प्रकार है-

सारणी 1: पर्यटन व्यवसाय का प्रकार

क्रमांक	व्यवसाय	व्यवसायियों की संख्या	व्यवसायियों का प्रतिष्ठत
1	गाईड	02	05
2	फोटोग्राफर	03	7.5
3	होटल एवं लॉज	05	12.5
4	थोक विक्रेता	03	7.5
5	फेरी वाले	10	25
6	परिवहन	08	20
7	जलपान	09	22.5
योग	07	40	100



सारणी क्रमांक 01 का विश्लेषण: मण्डला जिले में पर्यटकों के आगमन से जनजातियों में व्यवसायिक प्रवृत्ति का विकास हुआ है, पर्यटकों को विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने हेतु जनजाति वर्ग के अनेक सदस्य पर्यटन तथा सहायक कार्यों में संलग्न हैं जिससे उन्हें आय प्राप्त होती है, फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में परिवर्तन देखा जा सकता है। मण्डला में आगन्तुक पर्यटकों को सुविधाएँ प्रदान करने हेतु व्यवसायियों का सर्वाधिक 25 प्रतिशत भाग फेरी वालों के रूप में कार्यरत है। जिसमें जनजाति वर्ग के महिला तथा पुरुष दोनों फेरी वाले के रूप में कार्यरत हैं वहीं पर्यटकों को जिले के पर्यटन स्थलों में लाने ले जाने हेतु 20 प्रतिशत व्यवसायी परिवहन व्यवसाय में संलग्न हैं जो ऑटो, टैक्सी, बस, के माध्यम से पर्यटकों को जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पर्यटकों को भोजन और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 12.5 प्रतिशत तथा जलपान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 22.5 प्रतिशत व्यवसायी संलग्न हैं पर्यटकों को पर्यटन स्थल की गहवाई से जानकारी प्रदान करने हेतु 5 प्रतिशत व्यवसायी गाईड व्यवसाय के रूप में कार्यरत हैं जो शिक्षित हैं तथा एकाधिक भाषाओं की जानकारी रखते हैं वही 7.5 प्रतिशत व्यवसायी पर्यटकों को उनकी यादों को संजोए रखने हेतु फोटोग्राफी का कार्य करते हैं। तथा इन सभी को चिल्हर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 7.5 प्रतिशत व्यवसायी थोक विक्रेता के रूप में संलग्न हैं। पर्यटकों के आगमन से जनजातियों को आय प्राप्त होती है जिससे उनके जीवन स्तर में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तथा पर्यटकों के संपर्क में आने से जनजातियों में भाषाई विकास के साथ ही उनके पहनावे तथा आधुनिक साधनों के उपयोग की ललक पैदा हुई है, अब पर्यटकों की मांग के आधार पर उनके खान-पान तथा अन्य उपयोग की सामग्री भी जनजाति व्यवसायियों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है जिनका उपयोग जनजातीयजन धीरे-धीरे स्वयं भी करने लगे हैं। जनजातियों के पर्यटकों से संपर्क में आने से एक-दूसरे की भाषा तथा संस्कृति का आदान-प्रदान हो रहा है जिसके कारण जनजातियों की भाषाई संस्कृति तथा विचारों में स्पष्ट परिवर्तन नजर आ रहे हैं इन सामाजिक परिवर्तनों के साथ ही पर्यटकों से होने वाली आय के कारण जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसके कारण उनका जीवन स्तर धीरे-धीरे ऊंचा उठ रहा है।

सारणी 2: पर्यटन व्यवसाय में जनजाति और गैर जनजाति व्यवसायियों का प्रतिषत


क्रमांक	प्रकार	प्रतिशत
1	जनजाति	52
2	गैर जनजाति	48
योग	02	100



सारणी क्रमांक 02 का विश्लेषण: सारणी क्रमांक 02 में जिले में पर्यटन व्यवसाय में संलग्न जनजाति और गैर जनजाति व्यवसायियों की भागीदारी के संकलित आंकड़ों का सारणीयन करके उनका विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पर्यटन व्यवसाय में 52 प्रतिशत व्यवसायी जनजाति वर्ग के हैं जो कम लागत वाले व्यवसायों फेरी वाले, फोटोग्राफर, परिवहन तथा जलपान व्यवसाय में संलग्न हैं। इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति कम शिक्षित होने तथा अधिक पूँजी लागत वाले व्यवसायों जैसे होटल एवं लॉज, थोक विक्रेता आदि व्यवसायों में इनके पास लागत की कमी के कारण ये तुलनात्मक दृष्टि से कम संलग्न हैं। 48 प्रतिशत व्यवसायी जो गैर जनजाति वर्ग के हैं अन्य व्यवसायों के साथ ही अधिक पूँजी लागत वाले उद्योगों होटल एवं लॉज थोक विक्रेता आदि व्यवसायों में संलग्न हैं एवं उच्च शिक्षित तथा एकाधिक भाषाओं के जानकार गाईड व्यवसाय में संलग्न हैं। जो मुख्यतः गैर जनजाति वर्ग के हैं क्योंकि गाईड बनने हेतु उच्च शिक्षा तथा अनेक भाषाओं का जानकार होना आवश्यक है और जनजातियों आज भी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण गाईड व्यवसाय में कम ही संलग्न हैं।

सारणी 3: पर्यटन व्यवसाय में संलग्न व्यवसायियों की संख्या तथा वर्ग का प्रतिषत


क्रमांक	वर्ग	व्यवसायियों की संख्या	व्यवसायियों का प्रतिषत
1	अनुसूचित जनजाति	21	52
2	अनुसूचित जाति	02	06
3	पिछड़ा वर्ग	12	30
4	सामान्य	05	12
योग	04	40	100



सारणी क्रमांक 03 का विश्लेषण: सारणी क्रमांक 03 में पर्यटन व्यवसाय में संलग्न वर्गों का प्रतिशत तथा व्यवसायियों की संख्या का विश्लेषण किया गया है, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत व्यवसायी पर्यटन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं जो आदिकाल से ही इन पर्यटन स्थलों के आस-पास निवासरत हैं, कुछ जनजाति व्यवसायी बेरोजगार होने तथा पर्यटन क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक आय प्राप्त होने के कारण पर्यटन क्षेत्रों में आकर विभिन्न व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं तथा धीरे-धीरे पर्यटन स्थलों के आस-पास ही अपना निवास बनाकर रहने लगे हैं पर्यटन व्यवसाय में अनुसूचित जाति के केवल 06 प्रतिशत व्यवसायियों की भागीदारी है जिसका कारण जनजाति बहुल मंडला जिले में अनुसूचित जाति की कम जनसंख्या का होना है। वहीं पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत व्यवसायीजन पर्यटन व्यवसाय में संलग्न हैं, जो जनजातियों की तुलना में अधिक शिक्षित तथा अधिक पूंजी लागत वाले व्यवसायों में संलग्न है तथा 12 प्रतिशत व्यवसायीजन सामान्य वर्ग के हैं जो परिवहन सुविधा प्रदाता, होटल एवं लॉजिंग तथा गाइड व्यवसाय में कार्यरत हैं।

सारणी 4: पर्यटन के कारण आय में वृद्धि (प्रतिमाह रूपये में)

क्रमांक	बढ़ी हुई आय (हजार में)	व्यवसायियों की संख्या	व्यवसायियों का प्रतिशत
1	5 से कम	8	20
2	5 से 10	14	35
3	10 से 15	12	30
4	15 से अधिक	6	15
योग	04	40	100



सारणी क्रमांक 04 का विश्लेषण: सारणी क्रमांक 04 में पर्यटन व्यवसाय के कारण जनजातियों की आय में वृद्धि के जो आंकड़े साक्षात्कार से प्राप्त हुये हैं का सारणीयन किया गया है तथा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है ऐसे व्यवसायी जिनकी मासिक आय में पर्यटन व्यवसाय से 5 हजार रूपये से कम की वृद्धि हुई है उनका प्रतिशत 20 है ये मुख्यतः फेरी वाले तथा फोटोग्राफी के व्यवसाय में संलग्न है तथा 5 से 10 हजार रूपये के मध्य मासिक आय में वृद्धि वाले व्यवसायियों का प्रतिशत 35 है जो कि गाइड तथा जलपान के व्यवसाय में कार्यरत हैं वहीं 10 से 15 हजार रूपये की मासिक आय में वृद्धि वाले 30 प्रतिशत व्यवसायी परिवहन, कुछ जलपान व्यवसायी तथा छोटे होटल व्यवसायी हैं तथा 15 हजार रूपये से अधिक की मासिक आय में वृद्धि वाले 15 प्रतिशत व्यवसायी होटल तथा लॉज, परिवहन सुविधा प्रदाता वाहनों के मालिक तथा थोक विक्रेता हैं। अतः पर्यटकों के आगमन से पर्यटन क्षेत्र की जनजातियों की आय में वृद्धि हुई है जिसके कारण उनका जीवन स्तर धीरे-धीरे ऊंचा

उठ रहा है और जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में शनैः-शनैः सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है तथा क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आता है, पर्यटन क्षेत्र की जनजातियों में पर्यटन व्यवसाय से आय में वृद्धि के कारण उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब वे विभिन्न साधनों का उपयोग करने लगे हैं। आय में वृद्धि के कारण जनजातीयजन बच्चों को शिक्षित करने हेतु प्रयासरत हैं तथा आधुनिक संसाधनों के उपयोग की ओर अग्रसर हैं जो उनके और अधिक विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। वहीं पर्यटकों के संपर्क में आने से उनका सामाजिक-सांस्कृतिक विकास भी शनैः-शनैः हो रहा है। किंतु जिले के पर्यटन स्थलों का सुनियोजित विकास करके जनजातियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें व्यवसाय करने में सहायता प्रदान किया जाए तो जनजातियों की आय में वृद्धि के साथ ही राज्य की आय में भी वृद्धि की संभावना बढ़ जायेगी तथा पर्यटकों के संपर्क में आने से जनजातियों का और अधिक सामाजिक-आर्थिक विकास होना संभव है अतः जिले में आज भी पर्यटन के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है। जनजातियों के युवाओं को प्रशिक्षित करके गाइड व्यवसाय में सरलता से सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि उनको स्थानीय पर्यटन स्थलों की अधिक जानकारी उपलब्ध होती है तथा उनके स्थानीय होने से पर्यटन स्थलों के विकास में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सकेगा जिससे और अधिक सकारात्मक परिवर्तन नजर आयेगें।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, गिरिजा शंकर, – “मंडला किले का इतिहास”।
2. अग्रवाल, रामभरोस, “गढ़ा मंडला के गोंड राजा” गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला, मध्यप्रदेश।
3. अग्रवाल, रामभरोस “गोंड जाति का सामाजिक अध्ययन”।
4. अहूजा राम (2003) “सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान,” रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. उपाध्याय विजयशंकर (2002) “भारत की जनजाति संस्कृति,” मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
6. जिला सांख्यिकी पुस्तक मंडला (2016)।
7. तिवारी, संजय, गोंड कालीन पर्यटन स्थल, अप्रकाशित थीसिस, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
8. भारत 2017, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. “मध्यप्रदेश संदर्भ” (2012) मध्यप्रदेश, जनसंपर्क का प्रकाशन, जनसंपर्क संचालनालय, जनसंपर्क भवन, टैगोर मार्ग बाणगंगा, भोपाल।
10. “मध्यप्रदेश संदेश”, जनसंपर्क संचालनालय, जनसंपर्क भवन, बाणगंगा, भोपाल।
11. Mohanti CS. “Gond art & architecture of central india” unpublished thesis R.D.V.V. JABALPU
12. Mohanti C.S. “Ramnagar The new capital of gond king hridayashah”, Quest international journal 2014 dec.
13. शुक्ला, राजेश (2009) “पर्यटन भूगोल,” अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
14. शर्मा श्रीकमल (2015) “मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन,” मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
15. सहाय शिवरूप (1991) “पर्यटन – सिद्धांत और प्रबंधन तथा भारत में पर्यटन” मोतीलाल बनारसीदास बंग्लो रोड दिल्ली।
16. www.mpinfo.org
17. www.mandla.mp.gov.in